मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ -1-15-2010-20-1 भोपाल, दिनांक 20 मई, 2010

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
6. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/ नगर पंचायत,
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
मध्यप्रदेश.

विषयः– शालाओं में स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थापना सुनिश्चित करना।

---000---

शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ करने, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से सभी शालाओं में स्वीकृत पदों के मान से विषय समूह मान से अथवा विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराना शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हो गया है। इसके तहत 6 माह की समयसीमा में प्रत्येक प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाला में शिक्षक छात्र के निर्धारित अनुपात के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध कराना आवश्यक है। अतः प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत पदों के मद्देनजर उक्त अधिनियम के अनुरूप तथा कक्षा 9 से 12 के लिए स्वीकृत पदों के मद्देनजर आदर्श व्यवस्था के मापदण्ड अनुरूप विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित कराना होगा। इस पृष्ठभूमि में रिक्त पदों पर पदस्थापना की यह नीति निर्धारित की जा रही है।

2. **विद्यालयों हेतु स्वीकृत संरचना :–**

मध्यप्रदेश शासन द्वारा विद्यालयों में विषयमान अनुसार रचनाक्रम निर्धारित करते हुए पद स्वीकृति संबंधी आदेश समय–समय पर जारी किये गये हैं। इन्हीं स्वीकृत पदों की सीमा में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षक छात्र अनुपात के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना तथा हाई स्कूल एवं हायर

सेकेण्डरी स्कूल में आदर्श पदसंरचना के अनुरूप परिशिष्ट–1 अनुसार की जानी है। हायर सेकेण्डरी तथा हाई स्कूल में पदों का वितरण करते समय जिले के लिए प्रत्येक संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों से अधिक पद वितरित नहीं किये जाए। इसके आधार पर शाला विशेष के लिए शिक्षकीय पदों का निर्धारण कर विद्यालयवार अधिकता एवं रिक्त स्थानों की संख्यात्मक सूची को कार्यालय जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त – आदिवासी विकास/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/संकुल प्राचार्य तथा संबंधित विद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा तथा स्कूल शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग के पोर्टल व संबंधित जिले/संचालनालय/सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट पर भी रखा जायेगा।

3. रिक्त पदों पर पदस्थापना निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जा सकेंगी :–

(अ) प्रदेश की सभी प्राथमिक शालाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात की पूर्ति न्यूनतम दो शिक्षक सहित यथासंभव परिशिष्ट 1 के खण्ड ब में दिए गये रचनाक्रम अनुसार शालाओं में न्यूनतम दो शिक्षक सहित यथासंभव शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

(ब) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक माध्यमिक शाला में न्यूनतम 03 शिक्षकों में से यथासंभव 01 गणित एवं विज्ञान समूह, 01 सामाजिक विज्ञान समूह एवं 01 भाषा समूह का शिक्षक उपलब्ध कराना।

(स) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में यथासंभव न्यूनतम 01 भौतिक शास्त्र, 01 रसायन शास्त्र, 01 जीव विज्ञान, 01 गणित, 01 हिन्दी, 01 अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू (यथास्थिति), 01 भूगोल अथवा अर्थशास्त्र एवं 01 राजनीति शास्त्र अथवा इतिहास का व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 उपलब्ध कराना।

(द) कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए (HS/HSS दोनों में) यथासंभव न्यूनतम 02 विज्ञान, 03 कला एवं भाषा तथा 01 संस्कृत का शिक्षक उपलब्ध कराना।

(इ) ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में शिक्षकों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।

(फ) उपलब्ध शिक्षकीय अमले का सर्वोत्तम उपयोग छात्र हित में करना।

(ज) सभी शालाओं के छात्रों को विषयमान से योग्य शिक्षकों के माध्यम से शिक्षण उपलब्ध कराना।

(झ) किसी भी शाला में संवर्गवार निर्धारित आदर्श मापदण्ड से अधिक पदस्थापना को पूर्णतः समाप्त करना तथा शासन की नीति निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना।

4. पदस्थापना नीति :–

(अ) जिन विद्यालयों में कंडिका 02 में दर्शाये रचनाक्रम से अधिक शिक्षकीय अमला कार्यरत् है, वहाँ से रिक्त पदों वाली शालाओं में पदस्थापना की जावेगी।

(ब) ऐसी माध्यमिक शालाएं, जहां पूर्व से सहायक शिक्षक/सहायक अध्यापक के पद स्वीकृत है, उन शालाओं में कंडिका क्रमांक–3 (ब) अनुसार दर्शित विषय समूह मान से स्नातक योग्यताधारी सहायक शिक्षक/सहायक अध्यापकों को पदस्थ किया जायेगा तथा माध्यमिक शाला में हायर सेकेण्डरी योग्यताधारी सहायक शिक्षक/सहायक अध्यापक को प्राथमिक शालाओं में रिक्त पदों पर पदस्थ किया जायेगा। अर्थात अतिशेष एवं कमी का आंकलन करते वक्त माध्यमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक/सहायक अध्यापकों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(स) सर्वप्रथम जिन शालाओं में स्वीकृत पद संरचना से अधिक शिक्षक कार्यरत है, तथा जहां कमी है, उनकी जानकारी तैयार कर सार्वजनिक की जायेगी। यह जानकारी वेबपोर्टल के माध्यम से तैयार कर सार्वजनिक की जाए।

(द) पदस्थापना के कारण शालाओं में अधिक संख्या में पदस्थ शिक्षकीय संवर्ग को सर्वप्रथम कॉउंसलिंग के माध्यम से स्वेच्छा से जाने के इच्छुक शिक्षकों की रिक्त स्थानों पर पदस्थापना नियत प्राथमिकता कम से की जायेगी।

(इ) तदुपरांत भी स्वीकृत पद संरचना अनुसार पदस्थापना न होने पर विद्यालयों में पदस्थापना तिथि से इस परिशिष्ट की कंडिका 5.2 में दिए प्राथमिकता कम में शिक्षकों को अतिशेष की गणना में लिया जाएगा। माध्यमिक स्तर, हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्तर पर वरिष्ठता का उपरोक्तानुसार निर्धारण विषयवार/विषय समूहवार किया जाएगा।

(फ) किसी भी स्थिति में परिशिष्ट–1 में दी गई व्यवस्था से अधिक शिक्षक किसी भी शाला में पदस्थ नहीं रहेगें। इससे अधिक शिक्षक पदस्थ होने पर इन शिक्षकों का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा।

(ज) अध्यापक संवर्ग के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक तथा सहायक अध्यापक की पदस्थापना नियुक्तिकर्ता निकाय के भीतर अन्य शालाओं में इस प्रक्रिया के अधीन की जाएगी। किसी भी स्थिति में अध्यापक संवर्ग की पदस्थापना एक निकाय से दूसरे निकाय में नहीं की जा सकेगी।

5. पदस्थापना के तहत अधिकता वाले शिक्षकों को अन्य शालाओं में पदस्थ करने में प्राथमिकता क्रम निम्नवत रहेगा।

5.1 स्वैच्छिक कॉउंसलिंग में प्राथमिकता कम निम्नानुसार तय किया जाएगा–

(1) कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट अथवा बायपास सर्जरी एवं पेरालिसिस ग्रसित महिला शिक्षक।

(2) कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट अथवा बायपास सर्जरी एवं पेरालिसिस ग्रसित पुरूष शिक्षक।

(3) विधवा अथवा वैधानिक तलाकशुदा महिला शिक्षक।

(4) 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाली महिला – (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

(5) 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले पुरूष– (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

(6) ऐसी महिला शिक्षिका जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है।

(7) ऐसे पुरुष शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है।

(8) महिला

(9) पुरूष

(10) यदि प्राथमिकता क्रम में एक से अधिक एक ही श्रेणी के कर्मचारी आवेदक है तो जिसकी उम्र अधिक है, उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

5.2. स्वैच्छिक कॉउंसलिंग के उपरांत वरिष्ठता एवं विषयमान के आधार पर अतिशेष शिक्षकों की गणना निम्न क्रम में की जायेगी :–

(1) पुरूष

(2) महिला

(3) ऐसे पुरूष शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है।

(4) ऐसी महिला शिक्षिका जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है।

(5) 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले पुरूष– (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

(6) 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाली महिला – (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

(7) विधवा अथवा वैधानिक तलाकशुदा महिला शिक्षक।

(8) कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट अथवा बायपास सर्जरी एवं पेरालिसिस ग्रसित पुरूष शिक्षक।

(9) कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट अथवा बायपास सर्जरी एवं पेरालिसिस ग्रसित महिला शिक्षिका।

(10) यदि प्राथमिकता क्रम में एक से अधिक एक ही श्रेणी के कर्मचारी आवेदक है, तो जिसकी उम्र कम है।

प्रत्येक बिंदु में पहले अध्यापक संवर्ग को एवं उसके पश्चात शिक्षक संवर्ग को विचार में लिया जाएगा। उपरोक्त (1 से 10 तक) के अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना अन्य शालाओं में रिक्त स्थान पर उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर उपरोक्त क्रम में की जायेगी। इसके अतिरिक्त पति–पत्नि दोनों शासकीय सेवाओं में हो, तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में यथा संभव एक ही स्थान पर रखा जायेगा।

**5.3 दिए गए मापदण्ड एवं पदसंरचना से आधिक्य (Excess) वाले शिक्षकों की पदस्थापना विकल्प नहीं देने पर निम्न क्रम में की जावेगी :–**

(1) शाला संकुल के भीतर पद रिक्त होने पर संकुल के अंतर्गत।

(2) शाला संकुल में पद रिक्त नहीं होने की दशा में विकास खण्ड अंतर्गत।

(3) विकास खण्ड के भीतर पद रिक्त नहीं होने की दशा में जिले के भीतर अन्य विकासखण्ड में (यथा सम्भव निकटस्थ विकासखंड)।

6. सक्षम स्तर :—

जिला अंतर्गत पदस्थापना जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के प्रस्ताव अनुसार जिला कलेक्टर के द्वारा की जायेगी तथा कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत अध्यापक तथा वरिष्ठ अध्यापकों को जिला पंचायत क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा, सहायक अध्यापकों के जनपद पंचायत क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा तथा नगरीय निकायों में आयुवत नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा तथा शिक्षक संवर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जायेगे।

7. अपील एवं निराकरण :—

जिला अंतर्गत पदस्थापना के विरूद्ध अपील जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जायेगी तथा जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से इसका निराकरण किया जायेगा।

8. समय सीमा :—

पदस्थापना की समस्त कार्यवाही 22 मई से 25 जून तक की जाना अनिवार्य होगी।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला स्तर पर शाला वार शिक्षक व्यवस्था की अद्यतन स्थिति शिक्षा विभाग के पोर्टल के माध्यम से तैयार करना | 22 मई 2010 |
| 2. | अद्यतन स्थिति के आधार पर पदस्थापना का प्रस्ताव तैयार करना | 25 मई 2010 |
| 3. | शालावार शिक्षकों के पदस्थापना की सूची तैयार करना | 30 मई 2010 |
| 4. | आपत्तियां आमंत्रित करना | 05 जून 2010 |
| 5. | आपत्तियों का निराकरण | 12 जून 2010 |

6. काउंसिलिंग के माध्यम से अंतिम रूप से पदस्थापना प्रस्ताव तैयार करना — 15 जून 2010

7. पदस्थापना प्रस्ताव के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करना — 20 जून 2010

8. आदेश के अनुसार कार्यभार ग्रहण करना — 25 जून 2010

9. संविदा शाला शिक्षकों एवं गुरूजी के पद स्थानांतरणीय नहीं हैं। अतः पदस्थापना की यह नीति उनके संबंध में लागू नहीं होगी।

10. समय सीमा में पदस्थापना की कार्यवाही संपन्न करने/नहीं करने वाले अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में यथास्थिति का उल्लेख किया जायेगा।

संलग्नः परिशिष्ट–1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शोभा इवनाती)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0कमांक /एफ 1-15-2010-20-1 — भोपाल, दिनांक 20 मई 2010

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक मा.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
7. समस्त, संभागायुक्त, म.प्र.।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र.
9. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, म.प्र. भोपाल।
10. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
11. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र.।

उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ–44/44/85/बी–2/20 भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 1988 द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में निम्न रचनाक्रमानुसार व्याख्याताओं एवं शिक्षकों के पद आदर्श व्यवस्था के तहत निर्धारित है :–

(अ) 1. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए पद स्वीकृति के मापदण्ड

| क्र0 | पद नाम | स्वीकृत संख्या |
|---|---|---|
| *विद्यालय में 08 वर्ग (Sections) तक के लिए* | | |
| 1 | व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/ संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 (विज्ञान) | 01 भौतिक शास्त्र,<br>01 रसायनशास्त्र,<br>01 जीवविज्ञान<br>01 गणित |
| 2 | व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/ संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 (भाषा) | 01 हिन्दी<br>01 अंग्रेजी |
| 3 | व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/ संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 (कला) | 01 भूगोल अथवा अर्थशास्त्र<br>01 राजनीतिशास्त्र अथवा इतिहास |
| *विद्यालय में 08 (Sections) से अधिक वर्ग (Sections) होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त पद स्वीकृत किए जाने का मापदण्ड है।* | | |
| 4 | एक अतिरिक्त वर्ग पर | 01 व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/ संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 (संबंधित संकाय विषय का) |
| 5 | दो अतिरिक्त वर्ग पर | 03 व्याख्याता (संबंधित संकाय विषय का) |
| 6 | तीन अतिरिक्त वर्ग पर | 04 व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/ संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 (संबंधित संकाय विषय का) |
| 7 | चार अतिरिक्त वर्ग पर | 06 व्याख्याता/वरिष्ठअध्यापक/ संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 (संबंधित संकाय विषय का) |
| 8 | कृषि, वाणिज्य अथवा अन्य संकाय के लिए | प्रत्येक संकाय के लिए 02 व्याख्याता/ वरिष्ठ अध्यापक/ संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 |

(अ) 2. हाईस्कूल (कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए HS/HSS दोनों में) के पद स्वीकृती के मापदण्ड

| स0क्र0 | पद नाम | स्वीकृत संख्या |
|---|---|---|
| *विद्यालय में 03 वर्ग तक के लिए* | | |
| 1 | शिक्षक / अध्यापक / संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 (विज्ञान) | 02 (एक विज्ञान एवं एक गणित) |
| 2 | शिक्षक अध्यापक / संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 (कला एवं भाषा) | 03 (एक अंग्रेजी एवं दो कला / हिन्दी) |
| 3 | शिक्षक अध्यापक / संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 (संस्कृत) | 01 |
| *विद्यालय में 03 (Sections) से अधिक वर्ग (Sections) होने पर निम्नानुसार अतिरिक्त पद स्वीकृत किए जाने का मापदण्ड है।* | | |
| 4 | एक अतिरिक्त वर्ग पर | 01 शिक्षक / अध्यापक / संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 |
| 5 | दो अतिरिक्त वर्ग पर | 03 शिक्षक / अध्यापक / संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 (एक विज्ञान, एक गणित एवं एक भाषा) |
| 6 | दो से अधिक अतिरिक्त वर्ग पर | उपरोक्तानुसार अनुपात में अतिरिक्त पद |

नोट : यह संभव है कि जिले के प्रत्येक संवर्ग हेतु वास्तविक स्वीकृत पद उपरोक्त मापदण्ड के मान से आवश्यक पदों से कम हो अतः हायर सेकेण्डरी स्कूल / हाई स्कूल में पदों का वितरण करते समय जिले के लिए प्रत्येक संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों से अधिक पद वितरित नहीं किये जाए।

**(ब) प्राथमिक शालाओं के लिए पदसंरचना : –शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार**

1. प्राथमिक स्तर पर – छात्र शिक्षक अनुपात

- 60 बच्चों तक – 2 शिक्षक
- 61 से 90 बच्चों पर – 3 शिक्षक
- 91 से 120 बच्चों तक – 4 शिक्षक
- 121 से 200 बच्चों तक – 5 शिक्षक
- 150 से अधिक होने पर – 5 शिक्षक 1 प्रधानअध्यापक

200 से अधिक होने पर – 1:40 का अनुपात (प्रधानअध्यापक छोडकर)

2. माध्यमिक स्तर पर – छात्र शिक्षक अनुपात

- कम से कम एक शिक्षक प्रति कक्षा अर्थात न्यूनतम 3 शिक्षक (1 शिक्षक – विज्ञान एवं गणित एक – सामाजिक विज्ञान, एक– भाषा)
- प्रति 35 बच्चों पर– कम से कम 1 शिक्षक अर्थात छात्र शिक्षक अनुपात 1:35 हो।
- 100 बच्चों से अधिक होने पर – छात्र शिक्षक अनुपात 1:35 के अनुसार उपलब्धता तथा एक पूर्ण कालिक प्रधानअध्यापक तथा 3 अंशकालिक शिक्षक (कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा (work education)

**छात्र संख्या 105 से अधिक होने पर**

1. पूर्व से उपलब्ध 3 शिक्षकों में भाषा शिक्षक के रूप में यदि हिन्दी अथवा संस्कृत का शिक्षक हो तो अतिरिक्त शिक्षक अंग्रेजी का दिया जाएगा तथा यदि पूर्व से अंग्रेजी का शिक्षक उपलब्ध हो तो हिन्दी अथवा संस्कृत का शिक्षक दिया जाएगा।
2. तदुपरांत विज्ञान एवं गणित में से यदि विज्ञान का शिक्षक पूर्व से उपलब्ध हो तो गणित का शिक्षक दिया जाएगा तथा यदि गणित का शिक्षक पूर्व से उपलब्ध हो तो विज्ञान का शिक्षक दिया जाएगा ।
3. फिर भी यदि आवश्यकता हो तो सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक लिए जाएंगें।

**नोटः– प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के लिए उपरोक्तानुसार पद संरचना मान्य की जाएगी।**